राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	सागर बनाम अम्बालाल व अन्य हाथी दे प्रकरण न- 49/2019	
3-2-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 30-3-21 को पेश हो।	
30.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 02-6-21 को पेश हो।	
07.7.21	...ाई तारीख पेशी देने पर आज ...ी पेश हुई। वकुलाय फरिकेन ...स्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-8-21 को पेश हो।	
27-8-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 22-9-21 को पेश हो।	
22-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-11-21 को पेश हो।	
22.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- हाथीदेह में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की ओर से श्री राजेश थेबड़, एडवोकेट ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सी

सागर वगै. बनाम अम्बालाल वगै.

नं. 49 सन् 2019

किस्म मुकदमा दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
सागर मोहन लाल पहचानकर्ता सुशीला सरपच ग्रा.प. हाथीदेह प.स. अजीतगढ (सीकर) झिब्बालाल बालाराम मा. बद्री सुरेशचन्द अ.नि. मालीदेवी अ.नि. सोहनीदेवी अ.नि. मोहनीदेवी अ.नि. केलादेवी अ.नि. [illegible]देवी अ.नि. गुलाबदेवी सरवण	उपस्थित इकबालिया जवाब दावा मय वकालतनामा के पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पचायंत– हाथीदेह में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण की पहचान श्रीमती सुशीला देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत हाथीदेह के द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादींगण संख्या 1 ता 12 की पहचान प्रतिवादीगण वकील श्री राजेश थेबड़ एड0 के द्वारा की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् एंव उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को ग्राम पंचायत– हाथीदेह में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए[illegible] सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.12.07 16:08:41 IST Reason: SelfAttested [signature] 22/11/21 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– हाथीदेह मैं प्रतिवादी 1 ता 12 की पहचान करता हूँ [signature] (राजेश थेबड़ एड.)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः— हाथीदेह
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49 / 2019	2019 / 044	26.06.2019	22.11.2021

उनवान

1. सागर पुत्र भगवान सहाय आयु 38 वर्ष
2. मोहन पुत्र भगवान सहाय आयु 35 वर्ष
3. प्रकाश पुत्र हरसहाय आयु 32 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादीगण

बनाम्

1. अम्बालाल पुत्र जगन्नाथ उम्र— 47 साल
2. बालाराम पुत्र सुल्तान उम्र— 50 साल
3. झाबर पुत्र प्रभूराम उम्र 40 साल
4. नेतराम पुत्र प्रभूराम उम्र 38 साल
5. सुरेश पुत्र प्रभूराम उम्र 32 साल
6. माली देवी पुत्री जगन्नाथ उम्र 58 साल
7. सोहनी देवी पुत्री हरसहाय उम्र 35 साल
8. मोहनी देवी पुत्री हरसहाय उम्र 40 साल
9. कैला देवी पुत्री भगवान सहाय उम्र 40 साल
10. श्रवणी देवी पत्नी भगवान सहाय उम्र 68 साल
11. सरोज देवी पुत्री प्रभूराम उम्र 34 साल
12. गुलाब देवी पत्नी प्रभूराम उम्र 70 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

22/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

14. मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक शाखा अजीतगढ़।

15. मैनेजर, पी.एन.बी. बैंक हरदास का बास।

उपस्थित–

प्रतिवादीगण

श्री विक्रम कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री राजेश थेबड़, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 13

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक अंतर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1586, 1587, 1597, 1597/2133, 1598, 1599, 1600, 1684, 1686, 1717 कुल किता 10 कुल रकबा 3.56 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 भैरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.0300 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी हिस्सा 1/2 मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 मोहरू के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1574/2197, 1588 कुल किता 02 कुल रकबा 0.57 हैक्टर तन् ग्राम/4 हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक प्रभूराम, भगवानसहाय पि0 मोहरूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1543, 1552, 1705, 1707 कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवानसहाय पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0500 हैक्टर गैरमु0 चाह तन् ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक भगवानसहाय, प्रभूराम पि0 मोहरू हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1547 रकबा 0.3000 हैक्टर तन् ग्राम हाथीदेह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

22/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवानसहाय पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0मु0 चाह तन् ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी मृत्तक प्रभूराम, भगवानसहाय पि0 मोहरू हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त सजरा खानदान अनुसार पक्षकारान् आपस में एक ही परिवार से है तथा वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक एव सयुंक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आय से परिवार में कयशुदा भूमियॉ है। जिस पर पूर्व में पक्षकारान् का बुजुर्ग भैरिया उर्फ मोहरू काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रगण सुल्तान व जगन्नाथ परिवार में बड़े व कर्त्ता धर्ता थें। इसलिए मद नम्बर 1 व 2 की खातेदारी अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा मद नम्बर 3 ता 7 पक्षकारान् की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती में खरीद शुदा व कब्जा शुदा भूमियॉ है परन्तु शामलाती परिवार होने से उक्त भूमियों का विकय लेख प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरू उर्फ भैरिया के नाम करवा दिया गया था तथा खातेदारी दर्ज करवा दी गई थी। जबकि उक्त भूमियो पर पॉच भाई जगन्नाथ, सुल्तान, हरसहाय, प्रभूराम, भगवानसहाय पुत्रगण मोहरू उर्फ भैरिया बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इनकी मृत्यु उपरान्त इनके वारिसान् पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी हिस्सानुसार वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा, वादी संख्या 3 हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/5 दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वादीगण उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादिया संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने पुत्रों व भाईयों के हक में कर दिया है। प्रतिवादिया संख्या 6 ता 9 एंव 11 व 12 शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल में रहती है तथा प्रतिवादिया संख्या 10 काफी वृद्ध है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त हिस्सानुसार व कब्जा काश्त अनुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने से दिनांक 15.08.2018 को इन्कार हो गये। इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण का पेश कर निम्नानुसार डिकी फरमाये जाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: Self-Attested

Rathore 22/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गया है कि :– ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 1586, 1587, 1597, 1597/2133, 1598, 1599, 1600, 1684, 1686, 1717 कुल किता 10 कुल रकबा 3.56 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 भैरिया का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/5 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/5 दर्ज किये तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.0300 हैक्टर गै0 मु0 चाह में मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 मोहरू के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 मोहरू का नाम हजफ किये जाने तथा खसरा नम्बर 1574/2197, 1588 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/5 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/5 दर्ज किये जाने तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1543, 1552, 1705, 1707 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवानसहाय पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/10 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/10 दर्ज किये जाने तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0 मु0 चाह की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/20 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/20 दर्ज किये जाने तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1547 रकबा 0.3000 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/10 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/10 दर्ज किये जाने तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0 मु0 चाह की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/6 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/30 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/30 दर्ज किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– हाथीदेह में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश थेबड़ के साथ उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने बाबत अपनी–अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की गईं। इस बाबत सभी वादीगण व प्रतिवादीगण ने सहमति बतौर आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये है। जिसमें उपस्थित वादीगण की पहचान श्रीमती सुशीला देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत हाथीदेह व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की पहचान श्री राजेश थेबड़ एडवोकेट प्रतिवादीगण के द्वारा की गई है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दौराने शिविर ही मजमे–ए–आम में ही बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति व इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068, 2069–2072, 2074–2077 कुल सात जमाबन्दियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

22/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

में वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत ग्राम पंचायत हाथीदेह के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया है। जिससे भी उक्त वादग्रस्त भूमियों के पैत्रृक भूमियॉ होना स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के पैत्रृक भूमियॉ होने से एंव उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा आपस में सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा लोक अदालत की भावना से की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरारहक स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 1586, 1587, 1597, 1597/2133, 1598, 1599, 1600, 1684, 1686, 1717 कुल किता 10 कुल रकबा 3.56 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 भैरिया का नाम हजफ किया जाता है तथा वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/5 एंव वादी संख्या 3 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.0300 हैक्टर गै0 मु0 चाह में मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 मोहरू के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृत्तक सुल्तान, जगन्नाथ पि0 मोहरू का नाम हजफ किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1574/2197, 1588 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम का नाम हजफ किया जाता है एंव वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/5 एंव वादी संख्या 3 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1543, 1552, 1705, 1707 कुल किता 4 कुल रकबा [illegible]300 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवान सहाय पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व [illegible] को हिस्सा 1/10 एंव वादी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

22/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0 मु0 चाह की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/20 एंव वादी संख्या 3 को हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/20 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/20 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1547 रकबा 0.3000 हैक्टर की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम पुत्र मोहरू हिस्सा 1/4 एंव मृत्तक भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/10 एंव वादी संख्या 3 को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/10 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0 मु0 चाह की खातेदारी से मृत्तक प्रभूराम, भगवान सहाय पि0 मोहरूराम हिस्सा 1/6 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/30 एंव वादी संख्या 3 को हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/30 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को हिस्सा 1/30 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

22/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— हाथीदेह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– हाथीदेह के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

22/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प:– हाथीदेह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested